

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता,
सरयू नहर खण्ड-नानपारा,
बहराइच।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :- 118 /स0न0ख0ना0/निविदा, दिनांक- 28.01.21
विषय :- अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-01/ई0ई0/2020-21 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय की अल्पकालीन निविदा सूचना सं- 01/ई0ई0/2020-21 की छः प्रतियां (सी0डी0सहित) इस अनुरोध कि साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा सूचना को निम्न समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजवाने का कष्ट करें।

क्रमांक	समाचार पत्र का नाम	स्थान
1	दैनिक जागरण	लखनऊ/बहराइच
2	अमर उजाला	लखनऊ/बहराइच

साथ ही निविदा को शासनादेश संख्या-ए-1-1173/10-2001-10(5)/2000, दिनांक 27.04.2001 के बिन्दु-‘क’ के अनुसार वेसाइट www.upinfo.org पर भी उपलब्ध (upload) करने का कष्ट करें।

Email- id- eesnknanpara@gmail.com

संलग्नक- उपरोक्तानुसार छः प्रतियां, एक अदद सी0डी0।

अधिकासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड-नानपारा
बहराइच

पत्रांक :- /स0न0ख0ना0/ ,तदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (सरयू परि0 प्रथम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या
4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल-बहराइच।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नवम मण्डल सिंचाई कार्य-बहराइच।
6. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्त निविदा सूचना की हार्ड कॉपी एवं एक अदद सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
7. जिलाधिकारी, बहराइच/श्रावस्ती।
8. पुलिस अधीक्षक, बहराइच।
9. अधिकासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-1,3,4,5 एवं 7, बहराइच।
10. अधिकासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम, बहराइच।
11. अधिकासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-प्रथम, नानपारा, बहराइच।
12. समस्त सहायक अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-नानपारा,बहराइच।
13. अध्यक्ष, ठेकेदार संघ, नानपारा, बहराइच।
14. वास्ते नोटिस बोर्ड।

अधिकासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड-नानपारा
बहराइच

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड-नानपारा
बहराइच

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना सं0-01 / अ0अ0 / 2020-21

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदायें <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से प्री-क्वालिफिकेशन टेक्निकल बिड एवं प्राइस-बिड/ फाइनेन्शियल बिड, सिंचाई विभाग में सिविल कार्य हेतु वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 08.02.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 15.02.2021 अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्री-क्वालिफिकेशन टेक्निकल बिड दिनांक 16.02.2021 के अपराह्न 01:00 बजे अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-नानपारा, बहराइच के कार्यालय में गठित समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जायेगी एवं प्री-क्वालिफिकेशन बिड में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के प्राइस-बिड/फाइनेन्शियल बिड खोलने की तिथि कुल प्राप्त निविदादाताओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने या छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

निविदायें दिनांक 08.02.2021 की पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 15.02.2021 की अपराह्न 03:00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-नानपारा/टेण्डर समिति का होगा। कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू० में)	मात्रा	धनरोहर धनराशि (लाख रू० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ जी.एस.टी.+ स्टेशनरी का मूल्य (रू० में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3		4	5	6	7
1	गौसपुर राजवहा के किमी० 5.800 पर स्थित बरदेहरा मोड़-नानपारा रोड पर स्थित डी०आर०बी० कम फाल के एप्रोच रोड के डामरीकरण का कार्य।	10.64	बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार	1.07	15 दिवस	225+41+500 = Rs.766.00	“सी” अथवा ऊपर
	योग-		-	-	-	-	-

इस निविदा से सम्बन्धित विस्तृत शर्तें तथा विवरण उत्तर प्रदेश की वेबसाइट <http://upgov.nic.in>, सूचना विभाग की वेबसाइट <http://information.up.nic.in>, सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://Irrigation.up.nic.in> तथा <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न होने अथवा निविदा प्रपत्र में संलग्न न होने अथवा किसी भिन्नता की स्थिति में सम्बन्धित ड्राइंग/प्रपत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में उपलब्ध होंगे तथा कार्यालय में उपलब्ध डाक्यूमेंट ही अन्तिम एवं मान्य होंगे।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड-नानपारा
बहराइच

नियम व शर्तें :-

1. यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट <http://upgov.nic.in/>, सूचना विभाग की वेबसाइट <http://information.up.nic.in/> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://irrigation.up.nic.in/> पर भी उपलब्ध है।
2. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/> पर उपलब्ध है। निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र (IDT-1) , जो कि कार्य समाप्ति की तिथि 06 माह तक वैध हो तथा स्वघोषणा शपथ पत्र (IDT-3) व अन्य प्रप. /अभिलेख की स्कैन्ड प्रति संलग्न किया जाना तथा उपरोक्त वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में वे सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-नानपारा, बहराइच के कार्यालय से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।
3. पंजीकरण प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1) हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) स्व-घोषणा शपथ पत्र (IDT-3) की मूलप्रति, न्यूनतम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात उपलब्ध कराना अनिवार्य है तथा समस्त पत्रों की स्कैन्ड कापी निविदादाता द्वारा अपनी निविदा के साथ ई टेण्डर पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा।
4. निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।
5. Technical Evaluation by Tender Committee will be done as per procedure described in detailed bid document & financial bid will be opened of only qualified bidders of technical bid. Dated of opening of financial bid will be decided on the basis of total numbers of bids submitted & notified on notice board & e-portal.
6. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ में ई-टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त कारपोरेशन के माध्यम से ई-टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
7. निविदादाता को धरोहर धनराशि के रूप में जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ0डी0आर0/बी0जी0बाण्ड, एन0एस0सी0 वैधता तिथि 06 माह (जो "अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-नानपारा", बहराइच" के पक्ष में बंधक हो) व निविदा क्रय धनराशि चालान सहित तथा IDT-1, IDT-2, IDT-3 निर्धारित श्रेणी का प्रमाण-पत्र, अन्य आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/ अभिलेख अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-नानपारा, बहराइच के कार्यालय में न्यूनतम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात निर्धारित की गयी तिथि को जमा करने होंगे, जिसकी सूचना निविदादाता को अलग से दी जायेगी, अन्यथा उनकी बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा विभाग में उनके पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही जो कि नियमानुसार अनुमन्य होंगी, की जायेगी।
8. प्रथम न्यूनतम निविदादाता की बिड Unresponsive हो जाने पर द्वितीय न्यूनतम निविदादाता स्वतः प्रथम न्यूनतम निविदादाता हो जायेगा तथा उन्हें मूल अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा तथा तत्काल प्रभाव से प्रथम न्यूनतम निविदादाता का कोई भी क्लेम/दावा मान्य नहीं होगा।
9. प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial / Price Bid) के साथ रू0 100/- जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर रू0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि कार्य का नाम.....हेतु दी गयी दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कापी ऑनलाइन निविदा के साथ जमा करनी है एवं न्यूनतम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात् मूल उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार देय वाणिज्य कर/जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी, लेबर सेस आदि प्रचलित टैक्स देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी व जमानत की धनराशि कार्य की लागत का 10 प्रतिशत सिक्वोरिटी के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक कर एफ0डी0आर0/बी0जी0बाण्ड, एन0एस0सी0 वैधता तिथि 06 माह (अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-नानपारा, बहराइच के पक्ष में बंधक) मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
10. Cost of Bid Document (Non Refundable): To be deposited in the account of UP e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking only. All concerned please note that bidding process will not move onward if the Bid Document's Cost (tender fee) is not paid through e-tender portal by Internet Banking.
11. Bid Security (EMD): Bid must be accompanied with security of the amount specified for work. Bid security will be deposited in the account of UP e-tender online Account through e-tender portal by Internet Banking only. All concerned please note that bidding process will not move onward if the bid security (EMD) is not paid through e-tender portal by Internet Banking. No other form of bid security will be accepted.
12. निविदादाता द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सिविल इंजीनियरिंग के कार्य में किसी एक वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर, कार्य जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी है, के अनुमानित लागत के 30 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
13. निविदादाता को पिछले सात वित्तीय वर्षों में कार्य जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गयी है, के प्राक्कलित लागत के 80 प्रतिशत मूल्य के बराबर के समान प्रकृति के दो संतोषजनक कार्य अथवा प्राक्कलित लागत के 40 प्रतिशत मूल्य के बराबर के समान प्रकृति के तीन संतोषजनक कार्य, जो उनके नाम से गठित अनुबन्ध के माध्यम से पूर्ण कराया गया हो, का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
15. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं कोई भी जानकारी के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड, नानपारा, बहराइच के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
16. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी /ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
18. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

19. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
20. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
21. राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
22. एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा एवं डाल सकेगा।
23. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में ही उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।
24. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑन-लाइन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। निविदा की प्रक्रिया ऑन-लाइन शुरू होने के पश्चात् किसी भी लॉट के सम्बंध में समस्त अग्रिम कार्यवाही सिर्फ ऑन-लाइन ही होगी, प्रत्येक निविदादाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निविदा की प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् ऑन-लाइन निविदा के सम्बंध में होने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धि-पत्र की जानकारी प्राप्त करता रहे, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
25. विशेष परिस्थितियों में निविदादाता से यदि कोई भी सूचना इत्यादि निविदा की प्रक्रिया ऑन-लाइन शुरू होने के पश्चात् प्राप्त करना होगा तो वह कार्यालय के ई-मेल आईडी0 eesnknanpara@gmail.com द्वारा निविदादाता के ई-मेल आईडी0 से मांगी जा सकती है, जिसे नियत समय के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सूचना नियत/निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध न कराने की दशा में निविदादाता की निविदा को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
26. ई-पोर्टल पर प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता द्वारा IDT-1, IDT-2, IDT-3, निर्धारित धरोहर/प्रतिभूति धनराशि, अनुभव प्रमाण पत्र एवं I.D. Form-112 (निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर सहित) ठीक-ठीक स्कैन कर अपलोड किये गये हैं या नहीं, इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता की बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
27. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
28. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
29. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि निविदादाता द्वारा किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
30. शासनादेश संख्या-383/36-2-2010 श्रम अनुभाग-2, दिनांक 26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली-2009 के अन्तर्गत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
31. निविदादाता को निविदा में दी गयी दरें जी0एस0टी0 रहित ही मान्य होंगी। जी0एस0टी0 का भुगतान ठेकेदार/फर्म को नियमानुसार विभाग द्वारा किया जायेगा। जी0एस0टी0 को प्रचलित शासनादेशों/नियमानुसार जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।
32. अन्य शर्तें एवं कार्य स्थल का विवरण निविदा प्रपत्र एवं पूर्ण अहर्ता निर्धारण प्रपत्र (प्री-क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड) में संलग्न है।
33. उक्त कार्य हेतु गठित अनुबन्ध में यदि अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्य समय से पूर्ण होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो नियमानुसार अन्य एजेन्सी से कार्य पूर्ण कराकर अनुबन्धित फर्म के अनुबन्धित कार्य पर इसकी बुकिंग कर दी जायेगी।
34. निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-नानपारा, बहराइच से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
35. निविदा प्रपत्र, वैयक्तिक मालिकाना फर्म, भागीदारी फर्म, पब्लिक/प्राइवेट कम्पनी द्वारा निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को प्री-क्वालीफिकेशन टेक्निकल बिड, के साथ ई-टेन्डरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-
 1. वैध पंजीयन की प्रति।
 2. चरित्र प्रमाण पत्र (IDT-1) हैसियत प्रमाण पत्र (IDT-2) स्व-घोषणा शपथ पत्र (IDT-3) की प्रति।
 3. ID Form - 112 (सभी चार पेज में निर्धारित स्थान पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।)
 4. आई0टी0आर0 (Assesment Year 2019-20)।
 5. समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र (बिन्दु संख्या-13 के अनुसार)
 6. पैन कार्ड की प्रति एवं जी0एस0टी0एन0 की प्रति।
 7. अर्नेस्ट मनी की प्रति (बिन्दु संख्या-11 के अनुसार)
 8. रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर रू0 1/- का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि कार्य का नामहेतु दी गयी दरें 90 दिवस तक मान्य होगी, की प्रति।
36. उपरोक्त दस्तावेजों का सत्यापन अन्तिम निविदादाता के रूप में निविदा स्वीकार होने के पश्चात् निविदादाता को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर करवाना होगा एवं उपरोक्त प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रमाण पत्र के गलत पाये जाने की स्थिति में निविदादाता के विरुद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की भी कार्यवाही की जायेगी। निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरुद्ध वाद दायर कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा उसका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
37. शासनादेश संख्या-622/223-12-2012-2 आडिट/08, टी0सी0 दिनांक- 08.06.2012 के अनुसार कार्यों की विभागीय दर से ठेकेदारों द्वारा दी गयी निविदा दर 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम होने पर 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत की कमी पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों की कमी पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत की कमी पर अतिरिक्त परफारमेंसस जमानत धनराशि देय होगी। यह परफारमेंसस जमानत धनराशि निविदा में उल्लिखित धरोहर/जमानत धनराशि के अतिरिक्त देय होगी तथा अनुबन्ध के समय उक्त परफारमेंसस जमानत धनराशि जमा करने की बाध्यता होगी, विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराने में असफल रहने पर धरोहर धनराशि तथा परफारमेंसस जमानत धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

38. निविदा प्रकाशन बजट आवंटन की प्रत्याशा में किया जा रहा है। धनावंटन के पश्चात ही अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जायेगी।
39. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना आनलाइन एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।
40. सिंचाई विभाग में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के सगे सम्बन्धी ठेकेदार इस निविदा को खरीद एवं डाल नहीं सकते हैं, ऐसा पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर, धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
41. प्रोसपेक्टिव बिडर्स जिन्होंने अभी तक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किये हैं ऐसे निविदादाता निविदा डालने से पूर्व अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किये गये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त कर लें।
42. धरोहर धनराशि तथा परफारमेंस गारन्टी Defect Libilty period समाप्त होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
43. निविदादाता द्वारा कोई कार्य सबलेट नहीं किया जायेगा। अनुबंध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा।
44. ठेकेदार को कार्य में प्रयोग की गयी खनिज सामग्री से सम्बन्धित वैध अभिवाहन प्रपत्र (एम0एम0-11) जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में शासनादेश संख्या 3385/86-2015-292/2015 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ, दिनांक-15.10.2015 के अनुसार रायल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का 05 गुणा) की कटौती ठेकेदार के बीजक से की जायेगी।

अधिशायी अभियन्ता
सरयू नहर खण्ड-नानपारा
बहराइच